

पत्र संख्या-सी0/ई0एच0-14/2023-4919/जे0

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
सचिव-सह-विधि परामर्शी, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक
प से परामर्शित

द्वारा:- *वित्त विभाग।

पटना, दिनांक-05/08/25

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय, पटना में फौजदारी वादों के संचालन हेतु
विधि पदाधिकारियों की संख्या का निर्धारण के संबंध में।

.....

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 के नियम-3(4) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में फौजदारी वादों के संचालनार्थ विधि पदाधिकारियों की संख्या निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता है:-

माननीय उच्च न्यायालय पटना के लिए

क्र० सं०	विधि पदाधिकारियों की कोटि	संख्या
1.	अपर लोक अभियोजक (वरीय पैनल)	50
2.	अपर लोक अभियोजक	200

2. उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति के उपरांत सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

3. इस आदेश के द्वारा विधि पदाधिकारियों की संख्या के निर्धारण के फलस्वरूप पूर्व के सृजन संबंधी आदेश तदनुसार संशोधित समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन,

(अंजनी कुमार सिंह)

सचिव-सह-विधि परामर्शी, बिहार।

पटना, दिनांक-05/08/25

ज्ञापांक-4919/जे0,

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिंह)

सचिव-सह-विधि परामर्शी, बिहार।

क०प०उ०

